वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम-140

# जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड,जोधपुर
## (वाणिज्य विभाग)

क्रमांकः– अप्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अनु–वाणिज्य–1/पत्र.––––––/आ.सं. /प्रे0 2045

जोधपुर, दिनांकः– 24.10.02

## आदेश

राज्य में भयंकर अकाल एंव सूखे की स्थिति को देखते हुये राज्य सरकार ने सामान्य कृषि श्रेणी के मीटर्ड सप्लाई उपभोक्ताओ को राहत प्रदान करने हेतु यह निर्णय लिया है कि ऐसे उपभोक्ताओं से वास्तविक विद्युत उपभोग के आधार पर ही बिल वसूल किये जाये तथा मिनिमम बिलिंग तथा वास्तविक विद्युत उपभोग की राशि का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा वितरण निगमों को किया जायेगा।

तद्नुसार सामान्य कृषि श्रेणी के मीटर्ड सप्लाई उपभोक्ताओं(टैरिफ कोड–4000) से बिलिंग माह नवम्बर,2002 से वास्तविक उपभोग के आधार पर ही बिल की राशि वसूल की जायेगी। उक्त उपभोक्ताओं को जारी कियें जाने वाले बिलों मे पूर्व की भांति मिनिमम बिलिंग की राशि के अन्तर को अलग से इंगित किया जायेगा, परन्तु उपभोक्ता को वास्तविक उपभोग की राशि ही जमा करानी होगी । यदि उपभोक्ता वास्तविक उपभोग की राशि जमा नही कराता है तो टैरिफ के प्रावधानानुसार विलम्ब शुल्क अधिभार लगाया जायेगा। मिनिमम बिलिंग एंव वास्तविक उपभोग के अन्तर की राशि को भी बिल में दर्शाया जायेगा जिसका राज्य सरकार द्वारा विद्युत वितरण निगम को पुनर्भरण किया जायेगा। मिनिमम बिलिंग एंव वास्तविक उपभोग की राशि के अन्तर की राशि बकाया के रुप में आगामी विपत्रों में नहीं दर्शायी जायेगी।

उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु मुख्य लेखाधिकरी बिल बनाने वाली संस्थाओं को आवश्यक निर्देश जारी करेंगे। इसके अतिरिक्त वे मिनिमम बिलिंग राशि के अन्तर की राशि जिसका पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाना है, का क्लेम प्रति माह राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

इस वित्तीय वर्ष के बिलिंग माह अक्टूबर,2002 तक पूर्व आदेशानुसार जारी किये गये बिलों का भुगतान उपभोक्ता द्वारा देय होगा।

(एच०एस० देवड़ा)<br>
उप मुख्य अभियन्ता(मुख्यालय)<br>
जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर